प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 15.09.2025

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण, घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया सामान बरामद।

दिनांक 03.09.2025 को थाना मोदीनगर पर वादी श्री योगेश यादव निवासी राजनगर एक्स0 गाजियाबाद द्वारा सूचना दी गयी जब वह गाजियाबाद से मुजफ्फरनगर जा रहा था तो तेलमिल मोदीनगर के पास अपनी गाडी मे मरम्मत कार्य कराने के लिये रुका तो अज्ञात चोर द्वारा उनकी कार में रखा बैग जिसमें सोने के आभूषण व 10 हजार रु कैश था को चोरी कर लिया है। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर सुसंगत धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व मैनुअल इन्पुटस के आधार पर उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्त अंकित कुमार पुत्र संदीप कुमार निवासी ग्राम रितौर थाना इकदिन जनपद इटावा हाल पता नासिरपुर थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को दिनांक 14.09.2025 को बम्बा रोड थाना मोदीनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी किये गये आभूषण (02 चेन, 01 अंगूठी, 01 लॉकेट) व चोरी किये गये रुपयों में से 5200 रु नगद बरामद किये गये। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बरामद रुपयों व पीली धातू के आभूषणों के सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि उसने कुछ दिन पहले एक सफेद रंग की गाडी से तेलमिल गेट के सामने सीएट टायर वाले की दुकान के बाहर खडी गाडी से चोरी किये थे। जिसमे से कुछ रुपये मैंने खर्च कर दिये बाकी जो रुपये बचे है ये वही रुपये है जो मेरे द्वारा चोरी किये थे। आज मैं इन आभूषणों को बेचने जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

अंकित कुमार पुत्र संदीप कुमार निवासी ग्राम रितौर थाना इकदिन जनपद इटावा हाल पता नासिरपुर थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

- 02 चेन, 01 अंगूठी व 01 लॉकेट (सोने के आभूषण)
- 5200 रु नगद (चोरी किये गये)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड में लूट की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार तथा उनके कब्जे से एक तंमचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस, एक खोखा कारतूस 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 09MM व चैन के एक टुकड़ा पीली धातु व चोरी के तीन मोबाईल व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल पल्सर बरामद

घटना का विवरणः- दिनांक 11.09.2025 को वादी श्री अनुज गोयल निवासी डी 29 शास्त्रीनगर गाजियाबाद द्वारा 02 अज्ञात मो0सा0 सवार द्वारा वादी की पत्नी के गले से सोने की चैन खीचकर ले जाने के संबंध में लिखित तहरीर दी गयी। जिसके आधार पर थाना हाजा पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमें गठित की गयीं।

कार्यवाही का विवरणः- विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान इलैक्ट्रोनिक साक्ष्यो (सीडीआर /सीसीटीवी फुटेज) व मैनुअल इन्टैलीजेन्स व मैनुअल मुखबिर के आधार पर दिनांक 14.09.2025 को मानसरोवर पार्क इन्डस्ट्रियल एरिया गेट न0 01 के पास सर्विस रोड चौकी औद्योगिक क्षेत्र चैकिंग के दौरान अभियुक्तगण द्वारा पुलिस फोर्स पर फायरिंग की गयी, पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी जिसमें अभियुक्त 1. समीर पुत्र रहीस नि0 पी0ए0सी चौक कैला भट्टा मन्दिर के पास थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष घायल हो गया। घायल को उपचार हेतु संयुक्त जिला चिकित्सालय संजय नगर गाजियाबाद भेजा गया है। तथा 2. अभियुक्त दानिश उर्फ लम्बू पुत्र स्व0 नसरुद्दीन नि0 इकवाल चौक मलिक नगर मुरादनगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद हाल पता टूटी लाईन सादिक की पुलिया के पास कैलाभट्टा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगणों से पूछताछ की गयी तो पूछने पर बताया कि दिनांक 11.09.2025 की सुबह करीब 06.35 बजे शास्त्रीनगर में एक महिला के गले से सोने की चैन छीनी थी उसका एक टुकड़ा मैने पहले राह चलते व्यक्ति को कम दामो में बेच दिया था तथा पैसो को खर्च कर दिया था तथा यह मोबाईल हम दोनो ने थाना कविनगर व कोतवाली क्षेत्र से राह चलते लोगो से छीना है आज हम इस चैन व मोबाईल को बेचने व कोई और घटना करने के लिये ही आये थे कि आपने पकड़ लिया ।

अभियुक्त का नाम पता

1. समीर पुत्र रहीस नि0 पी0ए0सी चौक कैला भट्टा मन्दिर के पास थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष (घायल)
2. दानिश उर्फ लम्बू पुत्र स्व0 नसरुद्दीन नि0 इकवाल चौक मलिक नगर मुरादनगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद हाल पता टूटी लाईन सादिक की पुलिया के पास कैलाभट्टा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी-

- एक अदद तंमचा 315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस
- 01 खोखा कारतूस 315 बोर

- 01 खोखा कारतूस 09MM
- चैन के एक टुकड़ा पीली धातु
- चोरी के तीन मोबाईल
- एक मोटरसाइकिल पल्सर काला रंग रजिस्ट्रेशन नंबर UP14FR3782

अपराध का विवरण

- दोनो अभियुक्त गणों पर कमि0 गाजियाबाद में लूट के 2 अभियोग पंजीकृत

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

1. पुलिस टीम थाना कविनगर पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।
2. स्वाट टीम कमि0 गाजियाबाद

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान 02 वाहन चोर शातिर अपराधी गिरफ्तार।

आज दिनांक 15/9/2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा लालबाग कीकड़ो में चेकिंग की जा रही थी, तभी एक स्कूटी पर 02 व्यक्ति सवार होकर डाबर तालाब की तरफ से लालबाग की तरफ आते हुये दिखाई दिये। जिन्हे रुकने का इशारा पुलिस पार्टी द्वारा किया गया तो उनके द्वारा स्कूटी न रोक पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए स्कूटी मोड कर भागने लगा। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में स्कूटी चला रहे व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम योगेश उर्फ काके पुत्र सूरजपाल उर्फ सुरेश पाल नि0 म0न0 387 गली न0 12 प्रेमनगर थाना करावल नगर बताया तथा गिरफ्तार किये गये दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम रोहन पुत्र कृष्ण सिंह नि0 गली न0 1 देवीनगर दुर्गा ज्वेलर्स शिव विहार थाना करावल नगर दिल्ली बताया। पुलिस मुठभेड में घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण से बरामद स्कूटी के सम्बन्ध में थाना वेव सिटी पर मु0अ0स0 277/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है। अभि0गण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

अभियुक्तों का नाम व पता

1.योगेश उर्फ काके पुत्र सूरजपाल उर्फ सुरेश पाल नि0 म0न0 387 गली न0 12 प्रेमनगर थाना करावल नगर (पुलिस मुठभेड़ में घायल)

2.रोहन पुत्र कृष्ण सिंह नि0 गली न0 1 देवीनगर दुर्गा ज्वेलर्स शिव विहार थाना करावल नगर दिल्ली

बरामदगी का विवरण-

02 तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर

01 स्कूटी टीवीएस जूपिटर रजि0 न0 DL11SP5716 सम्बन्धित थाना वेव सिटी

अपराधिक इतिहास –
घायल अभियुक्त पर चोरी एवं लूट के करीब डेढ दर्जन अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम
थाना अंकुर विहार पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा धोखाधडी के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गण गिरफ्तार।

दिनांक 24.10.2022 को थाना लोनी पर वादी श्री अभिषेक वर्मा पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी सी0-168,रामप्रस्थ कालोनी, थाना लिंकरोड, गाजियाबाद की नामजद तहरीर प्राप्त हुयी कि अभियुक्त गण द्वारा साथियों के साथ मिलकर षडयन्त्र करके आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से उक्त फर्जी एवं कूटरचित मुख्तारनामा आम की कूटरचना की तथा उक्त कूटरचित मुख्तारनामा आम का जानबूझकर असल के रुप मे प्रयोग कर धोखाधडी करना व प्लाट को हडप करना आदि करने के सम्बन्ध में। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर सुसंगत धारा 120बी0/406/420/465/467/468/471/474 I.P.C के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त गण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 15.09.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1. रिजवान पुत्र इस्लाम निवासी नई बस्ती जमालपुरा थाना लोनी गा0बाद उम्र 42 वर्ष, 2. दिलशाना पत्नी अली हसन निवासी त्यागीमार्केट लोनी गा0बाद उम्र करीब 45 वर्ष को थाना लोनी क्षेत्र लोनी तिराहा से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-
अभि0गण ने पूछने पर बताया कि हमने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर षडयन्त्र करके आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से उक्त फर्जी एवं कूटरचित मुख्तारनामा आम की कूटरचना की तथा उक्त कूटरचित मुख्तारनामा आम का जानबूझकर असल के रुप मे प्रयोग कर धोखाधडी करना व प्लाट को हडप करने की घटना की थी तब से हम छिपते छिपाते घूम रहे थे कि आज आपने हमें पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-
1. रिजवान पुत्र इस्लाम निवासी नई बस्ती जमालपुरा थाना लोनी गा0बाद उम्र 42 वर्ष,
2. दिलशाना पत्नी अली हसन निवासी त्यागीमार्केट लोनी गा0बाद उम्र करीब 45 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-
अभियुक्त गण के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-
थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 15.09.2025 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त शानू उर्फ शहनवाज पुत्र शाबू उर्फ शाहबुद्दीन निवासी पीर मौहल्ला एक मीनार मस्जिद कस्बा व थाना गुलावटी जनपद बुलन्दशहर को थाना निवाडी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध रुप से धन लाभ अर्जित करने के लिये एक संगठित गिरोह बना रखा है। मैंने अपने गैंग के अन्य साथियों के साथ मिलकर गौहत्या व चोरी जैसे अपराध कारित किये हैं जिनमें मैं और मेरे साथी पूर्व में जेल भी जा चुके हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शानू उर्फ शहनवाज पुत्र शाबू उर्फ शाहबुद्दीन निवासी पीर मौहल्ला एक मीनार मस्जिद कस्बा व थाना गुलावटी जनपद बुलन्दशहर, उम्र करीब 27 वर्ष

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त शानू उर्फ शान मौहम्मद उपरोक्त के विरुद्ध जनपद गाजियाबाद में विभिन्न थानों में गौवध, चोरी / बरामदगी, आयुध अधिनिमय, पुलिस मुठभेड आदि के करीब 17 अभियोग तथा जनपद हापुड़ व गौतमबुद्धनगर में चोरी, आयुध अधिनियम के 05 अभियोग पंजीकृत हैं। (कुल अभियोग-22)

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान गैर राज्य से शराब की तस्करी करने वाले शातिर शराब तस्कर को किया गिरफ्तार जिसके कब्जे से (Maruti Ritz कार) DL3CBC8159 के अन्दर हरियाणा मार्का अवैध देशी शराब की 43 पेटियां बरामद।

आज दिनांक 15.09.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गैर राज्य हरियाणा से शराब की तस्करी करने वाले शातिर शराब तस्कर को बार्डर की चौकी मण्डोला बैरियर पर शराब तस्कर अभियुक्त गौरव पुत्र सोपाल निवासी सन्तोषपुर थाना बागपत

जिला बागपत उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। बरामद Maruti Ritz कार DL3CBC8159 के शीशे पर प्रेस लिखवाकर जनता व पुलिस का गुमराह करके गैर राज्य हरियाणा से अवैध देशी शराब की तस्करी करता है जिसके कब्जे से 43 अवैध देशी हरियाणा मार्का शराब की पेटी बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा- 60/63/72 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। बरामद शराब की बाजार में कीमत करीब 02 लाख बतायी जा रही है। अभियुक्त के सम्बन्ध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं काफी समय से चोरी छुपकर हरियाणा मार्का शराब की तस्करी करता हूँ और अपने आप को पकडे जाने के डर से पुलिस एव जनता को धोखा देकर मैंने अपनी कार पर प्रेस का स्टीकर लगा रखा है अगर मुझे कोई चेकिंग में रोकता है तो मैं अपने को किसी भी बडे चैनल का नाम बताकर कि कवरेज करने की बात कहकर आसानी से निकल जाता हूँ। मै हरियाणा से सस्ते दामों में शराब खरीदकर दिल्ली व यूपी के क्षेत्रों मे मंहगे दामों में बैच देता हूँ इससे मुझे काफी आर्थिक लाभ होता है। आज मैं अपनी कार में शराब की पेटियों को डिग्गी के अन्दर और कुछ पेटियों को कार के अन्दर रखकर काले कपडे से पेटियाँ छिपाकर दिल्ली सोनिया विहार ले जा रहा था कि पुलिस ने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गौरव पुत्र सोपाल निवासी सन्तोषपुर थाना बागपत जिला बागपत उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

43 पेटी अवैध देशी शराब सन्तरा हरियाणा मार्का बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत में 01 अभियोग व थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना विजयनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त हिमांशु पुत्र सुरेन्द्र निवासी कैलाश नगर गौशाला थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद के विरूद्ध वाद संख्या 136/2025 धारा 3/4 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत जिला बदर की कार्यवाही की गई।

दिनांक 11.09.2025 को अभियुक्त हिमांशु पुत्र सुरेन्द्र निवासी कैलाश नगर गौशाला थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद के विरूद्ध वाद संख्या 136/2025 धारा 3/4 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत माननीय न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महोदय

कमिश्नरेट गाजियाबाद के द्वारा गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये 06 माह के लिये अभियुक्त हिमांशु उपरोक्त को जिला बदर किया गया है।

उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 15.09.2025 को थाना विजयनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त हिमांशु उपरोक्त को आदेश की तामीला करते हुये आदेश की एक प्रति दी गयी तथा अभियुक्त हिमांशु उपरोक्त की ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराते हुये जनपद गाजियाबाद की सीमा से बाहर किया गया साथ ही मुनादी कराकर लोगो से अपील की गयी कि अभियुक्त के आज दिनांक 15.09.2025 से 06 माह तक अपने घर पर आने की या जिले में रहने की कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो थाना विजयनगर पुलिस को अवगत कराने का कृष्ट करे।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त हिमांशु उपरोक्त पर – 01 अभियोग महिला अपराध एवं 01 अभियोग मारपीट से सम्बन्धित थाना विजयनगर पर , 01 अभियोग थाना कोतवाली नगर पर मारपीट से सम्बन्धित, **कुल 03 अभियोग** कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत है।

कार्यवाही करने वाली टीम

थाना विजयनगर पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

साइबर सेल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 4,30,000/- रू0 की धनराशि वापस करायी गयी।

दिनांक 01.08.2025 को साइबर सेल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक श्री आत्माराम पुत्र शिव धनीराम निवासी 1160 गली नं0-39 न्यू करहेडा कॉलोनी मोहननगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद के साथ ज्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से साइबर फ्रॉड कर ऑनलाइन ठगी की गयी। जिसके क्रम में साइबर सेल थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गयी कुल धनराशि 4,30,000/- रू0 वापस करायी गयी।

कार्यवाही का विवरणः-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना साहिबाबाद कमिश्रेरेट गाजियाबाद को एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से दिनांक 01.08.2025 को श्री आत्माराम पुत्र शिव धनीराम निवासी 1160 गली नं0-39 न्यू करहेडा कॉलोनी मोहननगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद के साथ धनराशि 4,50,000/- रू० की साइबर ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर दिनांक 06.08.2025 को साइबर सेल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा धारा 66 डी आईटी एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया एवं साइबर सेल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के

साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक 15.09.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि 4,30,000/-रू0 को वापस कराया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

साइबर सेल थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।